Govt. Rewati Raman Mishra P.G. College, Surajpur

Admission Data According to C.G. Govt. Reservation policy

C •	2015	10
Session	- 2017	- 18
	- 401/	- 10

			323	Se	ssion -	201/	- 19							
Class	Number of seats earmarked for reserved category as per state govt. rule							Number of students admitted from the reserved category						
	SC	ST	ОВС	Divyang jan	Others	Total	SC	ST	ОВС	Divyan gjan	Others	Total		
B.A. I	23	60	27	5	5	120	10	60	27	0	0	97		
B.Sc. I	23	60	27	5	. 5	120	16	60	27	0	0	103		
B.Com. I	16	43	19	3	4	85	2	12	19	0	0	33		
B.C.A. I	7	18	8	1	2	36	0	3	6	0	0	9		
M.A. Hindi 1st Sem.	5	12	6	1	1	25	0	3	1	0	0	4		
M.A. Econ. 1st Sem.	5	12	6	1	1	25	1	1	3	0	0	5		
M.A. Pol. Sc. 1st Sem.	5	12	6	1	1	25	0	2	2	0	0	4		
M.A. Socio. 1st Sem.	5	12	6	1	1	25	0	0	1	0	0	1		
M.Com. 1st Sem.	5	12	6	1	1	25	1	5	6	0	0	12		
M.Sc. Botany 1st Sem.	2	6	3	1	0	12	0	6	3	0	0	9 -		
M.Sc. Chemistry 1st Sem.	3	8	4	1	0	16	1	8	4	0 ,	0	13		
DCA	5	12	6	1	1	25	0	1	1	0	0	2		
PGDCA	6	15	7	1	2	31	0	1	0	0	0	1		
Total	110	282	131	23	24	570	31	162	100	0	0	293		

PRINCIPAL Govt.R.B.M.P.G.College

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

email:- registrarsua@vahoo.in

Phone: - 07774-222789, Fax: - 07774-222791

क्रमांक:1288अकादिभक / प्रवेश मार्गदर्शिका / 2017 प्रति,

अम्बिकापूर, दिनांका*८/६/* 2017

विभागाध्यक्ष / प्राचार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / संघटक गहाविद्यालय स्रगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग)

प्राचार्य

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग)

शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017-18 के प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धान्त । विषय:-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल सन्दर्भ :-इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 445/138/आउशि /समन्वय/2017 रायपुर दिनांक 02.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भाकिंत पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है।

अत : सन्दर्भित मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त 2017-2018 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अकादमिक / प्रवेश मार्गदर्शिका / 2017 अम्बिकापुर, दिनांक / /2017 प्.क्रगांक प्रतिलिपि

01. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के सादर सूचनार्थ।

02. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को उनके पत्र क्रमांक 445/138/आउशि./समन्वय/2017 नया रायपुर, दिनांक 02.06.2017 के संदर्भ में।

03. संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण/सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय) की ओर सूचनार्थ।

04. प्रोग्रागर, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर(छ.ग.) को इस निर्देश के साथ की वे संलग्न प्रवेश मार्गदर्शिका को सरगुजा विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।

05. सम्बन्धित नस्ती।

(डी.पी.एस.तिवारी) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादिमक)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक-सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन, नया,रायपुर(छ.ग.)

---- 00----

कमांक / भूभ 5 । 38 / आउशि / समन्दय / 2017

रायपुर,दिनांक ठी / 0 1/ 2017

प्रति.

- कुल सचिव,
 समस्त विश्वविद्यालय,
 छत्तीसगढ।
- प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत ।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 नया रायपुर,दिनांक 29.05.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017—18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017—18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017—18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.) रायपुर,दिनांकः ९ / 0**%**/ 2017

पृक्षमांक /भेभे ५ ७८ /आउशि / समन्वय / 2017

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की और रांदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

 क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा विलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ ।

> संयुक्त संग्रालक उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःमंत्रालयःः

महानदी भवन, नया रायपुर

---00--

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2

नया रायपुर, दिनांक 2 9 MAY 2017

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

विषय:— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017—18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव कमांक 68/आउशि/समन्वय/2017

----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन् करें।

2/ छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017—18 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(निलिनी माथुर) ुअवर सचिव छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-9522017 / 38-2 प्रतिलिपि:-- नया रायपुर, दिनांक 2.⁄9 № № 226717

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
 स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

गार्ड फाईल।

५) १.— अवर सचिव छ0ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

-छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोरतर कक्षाओं में प्रवेश के लिए गार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2017-2018

- 1. प्रयुक्तिः-
- 1.1 ये नार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय रनातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा रनातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।
- 2. प्रवेश की तिथि:--
- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण
 पत्रों सहित निर्धारित दिनाक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश
 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा

सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित

किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :--

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य रवयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमित से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारम होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांति होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यमार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र रथान (अ) के महाविद्यालय में नियनानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "व" में हो गया. इस स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है. रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

- ्रहर्णवेद्य संघ में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (८) पर स्थानातरण होते ही, स्थान है के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना शाहता, है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अतिम तिथि निरुत जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
- 2.3 पुनर्णूल्याकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :—
 कि सकाय के अतिरिक्त अन्य सकायों के पुनर्णूल्याकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्णूल्याकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमित के परचात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पत्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्णूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 3. प्रवेश रांख्या का निर्धारण :--
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं रताफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमित प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाहीं करें।"
- 3.2 विधि रनातक प्रथम, द्वितीय एव तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति संक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4. प्रवेश सूची :-
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों का गूल प्रमाण पत्रों से गिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुगति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।

- ें निर्धारित <u>शुल्क</u> जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मा<u>न्य हो</u>गा। प्रवेश के पश्चात् रथानांतरण प्रमाण--पन्न की गूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 1.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/— अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- .5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकंट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
 - छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :--

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी. छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी. अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा सचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को हैं महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

रनातक रतर, नियमित प्रवेश :--

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकी को रनातक प्रथम वर्ष ने नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान सकाय में प्रवेश नहीं विया जायेगा। बीएस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 रनातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :--

- (क) बी.कॉम / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.-पूर्व / प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी / एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) रनातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम रोगेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के रनातकोत्तर दितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेभेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तार कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
 - स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :--

- (क) रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल एल एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगः।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदको को ही नियमित प्रवेश की णजता होगी। AICTE NCTUBAR <u>COUNCIL</u> OF INDIA/MEDICAL <u>COUNCIL</u> OF INDIA से अनुमोदित भाउयक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

- सगकक्ष परीक्षा :-
- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्ष'एं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पाप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारतं में स्थित विश्वविद्यालयं। जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाट्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रयेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैद्यानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता ब्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंग किए गए एनवीई क्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाउ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1--52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण विथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से रतर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध को वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गय और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को सामतुल्य / समस्तरीय प्रमाण—पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4

के प्रमाणित स्तर सहिल-10+2 शिक्षा का वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। गानट संसाधन विकास मत्रालय भारत-सरकार ने आशका जताई है कि एसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठयक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे व अलामकारी रिथित में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रवास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में भागतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षेतिजिक गत्यात्मकता के लिए खुअबसर मिल सके।"

- 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-
- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए /बी.कॉम./बी.एस.-सी. /बी.एब.एस.-सी. में एकीकृत पाट्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय /स्वशासी गहाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश. द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ायं जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रभाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेगेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा जत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूटी / गलत जानकारी याए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वकिद्यालय में प्रवेश से विचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नदबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वालें विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्घारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्थ होगा :-
- 8.1 10+2 तथा रनातक स्तर की प्रथम, हितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय में पूरक / एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रतर होती।

- ्र विधि स्नातक प्रथम ∕ द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीयट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वा**ले या पूरक** प्राप्त आवेदकु⁸ को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अईताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय शिक्षण विमाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनई नहीं माना जादेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्रावार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैंगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :--
 - (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर पूर्वर्द्ध / प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
 - (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्यांशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
 - (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (घ) संस्कृत मुहाविद्यालय में प्रवेश हिंदु स्नातक प्रधान वर्ष में 25 वर्ष तथा स्न**ातक प्रधान वर्ष में 25** वर्ष तथा स्नातक पूर्व / पूर्व / प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदको की प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/निःकच्छ अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने, वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापिल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाट्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :--
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अईकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - (ख) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अईकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 रनातक / रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अईकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे. अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विवार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवे:वेत विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकग से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश की पात्रता होगी।

- 7.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालया के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की रगातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी की अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेह महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की रिश्चित में ही दिया जा सकेगा।
- 12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :--
 - (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
 - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुझप्त -संख्या में से <u>चौदह प्रतिशत्</u> सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगानी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - (2) निश्चवत व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुकम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदबार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस जारक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटेंं भरी जायेगी।

- आर<u>क्षित स्था</u>न का प्रतिशय 1,/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं **होगा**. 1/2-प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए 12.7 तथा न्युनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- रागय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल राविरोस अव्यारिटी विरूद्ध भारत संरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कडाई से पालन किया जाए।
- अधिभार :-13.

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिमार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रो पर अधिनार हेत् विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउटस शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट	०३ प्रतिशत
	या दितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	

- 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत (刊)
- राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता (되) 04 प्रतिशत में ग्रप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को
- नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ ०५ प्रतिशत (च) के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को
- राज्यपाल स्काउटस ०५ प्रतिशत (13) राष्ट्रपति स्काउटस 10 प्रतिशत (ज) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ट एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत (झ) डयक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
- भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम में . (र) भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए

(य)

1012		- 172	
A SALAS		चयनित एवं प्रवास करने वाले केंग्रेट को अन्तर्राष्ट्रीय	
			15 प्रतिशत
13.2		विषय पाठ्यकन में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर	10 प्रतिशत .
		ं उसी विषय में प्रवेश लेने पर	
13.3	खेलकू	द / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :	
	(1)	लोक शिक्षण रांचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग	द्वारा आयोजित अंतर
	16*	जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोगि	जेत अंतर संभाग/क्षेत्र
		स्तर प्रतियोगिता में :-	اب <u> </u>
	(ক)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
	(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	०४ प्रतिशत
	(2)	उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालन	ालय द्वारा आयाजित
		अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा	
12		राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.उ	भाइ.यू. द्वारा आयाजित
		प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार	द्वारा आयाजित क्षत्राय
		प्रतियोगिता में :	0 -
	(ক)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	
	(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	
	(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	०५ प्रतिशत
	(3)	भारतीय विश्वविद्यालयं संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रा	लय, भारत सरकार द्वारा
		आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
	(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	15 प्रतिशत
		करने वाले को	
	(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम	12 प्रतिशत
	141	के सदस्यों को	-0-
	(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4		एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल	
	149 5000	चेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/	10 प्रतिशत
		क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	
13.5		सिगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित	The state of the s
	(ক)	छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 💢	10 प्रतिशत
		सदस्य को	

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशत टीम के सदस्यों को

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

०१ प्रतिशत



13.7 - <u>विशेष</u> प्रोत्साहन :--

छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेट्स तथा ओलिंग्याड/एशियाड/रपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रभाण-पत्नों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रभाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयाविध के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलक्षि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकौत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु भान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :--

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमित उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :--

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही निर्यामित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण—पत्र एवं प्रति तीन माह की

कार्<u>य प्रगति</u> रिपोर्ट प्राप्ता होने पर ही हेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

- 16 विशेष :-
- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवंदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमित या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(डॉ. क्रिरण गजपाल) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.)

Govt. Rewati Raman Mishra P.G. College, Surajpur Admission Data According to C.G. Govt. Reservation policy

Session	201	7 1	Q
75.00 11111	- 4111	/ - 1	

					Se	221011 -	201	- 1	G				rous -	
Class	I	umb	er of s	eats ea	rmarked	for reser	Number of students admitted from the							
	SC	ST	OBC	GEN	Divyang	Others	Total	SC	ST	OBC	GEN	Divyang	Others	Tota
B.A. I	23	60	27	80	5	5	200	10	60	27	103	0	0	200
B.Sc. I	23	60	27	80	5	5	200	16	60	27	97	0	0	200
B.Com. I	16	43	19	55	3	4	140	2	12	19	63	0	0	96
B.C.A. I	7	18	8	24	1	2	60	0	3	6	7	0	0	16
M.A. Hindi 1st Sem.	5	12	6	15	1	1	40	0	3	1	0	0	0	4
M.A. Econ. 1st Sem.	5	12	6	15	1	1	40	1	1	3	0	0	0	5
M.A. Pol. Sc. 1st Sem.	5	12	6	15	1	1	40	0	2	2	2	0	0	6
M.A. Socio. 1st Sem.	5	12	6	15	1	1	40	0	0	1	1	0	0	2
M.Com. 1st Sem.	5	12	6	15	1	1	40	1	5	6	20	0	0	32
M.Sc. Botany 1st	2	6	3	8	1	0	20	0	6	3	11	0	0	20
M.Sc. Chemistry	3	8	4	9	1	0	25	1	8	4	12	0	0	25
DCA	5	12	6	15	1	1	40	0	1	1	0	0	0	2
PGDCA	6	15	7	19	1	2	50	0	1	0	0	0	0	1
Total	110	282	131	365	23	24	935	31	162	100	316	0	0	609



PRINCIPAL
Govt.R.R.M.P.G.College
Sorraipur (C.G.)